न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 195/2022
आरसीएमएस नं. 2022/195

1. बलदेव सिह पुत्र मुख्त्यार सिंह जाति बाजीगर निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ। – फौत
   1/1 कलवनत कौर पत्नी स्व0 बलदेव सिह
   1/2 सोहन सिंह दत्तक पुत्र स्व0 बलदेव सिंह

—अपीलार्थी

बनाम

1. गुरदीप सिह पुत्र मुख्त्यार सिह जाति बाजीगर निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. हरदेव सिह पुत्र मुख्त्यार सिंह जाति बाजीगर निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
3. करनैल कौर पत्नी श्री मुखत्यार सिह जाति बाजीर निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

— रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश दिनांक 24.09.2021
द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर रावतसर
अनवान बल्देव सिह बनाम गुरदीप सिह आदि प्र. सं. 97/2020

उपस्थितिः–

श्री आशीष भिड़ासरा, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री विजय कौशिक, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 3

निर्णय दिनांक 16.8.2022

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायलाय के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया। प्रार्थना–पत्र में चक 1 पीपीएम के खाता संख्या 106 की 1.340 है0 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम से तथा इसी चक के खाता संख्या 16 के प. नं. 225/446 की 3.744 है0 अप्रार्थी संख्या 3 के नाम राजस्व रिकार्ड में

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

दर्ज होना बताया है एवं भूमि को संयुक्त परिवार की सहदायिक कृषि भमि होना बताते हुए प्रार्थी के पिता मुखत्यारसिह द्वारा प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में वसीयत किया जाना अभिकथित करते हुए चक 1 पीपीएम के प. नं. 219/443 (27)किला नं. 23/2/0.12, 24, 25 कुल 0.623 है0 व प0 नं0 219/444 (30) किला नं. 8, 9, 10/2 कमुल 0.445 है0 कुल 1.087 है0 व अप्रार्थी संख्या 3 के नाम दर्ज कृषि भूम में से 1.265 है0 की घोषणा करवाने हेतु दावा पेश किया एवं दौराने दावा प्रश्नगत भूमि के संबंध अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष मांगा। अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया कि प्रश्नगत भूमि संयुक्त परिवार की सहदायिक कृषि भूमि नहीं है। स्वर्गीय मुख्त्यारसिंह द्वारा सन् 2016 में की गई वसीयत को निरस्त किया जाकर सन् 2019 में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में वसीयत तस्दीक करवाई है तथा वसीयत के आधार पर प्रश्नगत भूमि अप्रार्थी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुकी है तथा अप्रार्थी संख्या 3 के नाम दर्ज कृषि भूमि उनकी स्वयं की अर्जित कृषि भूमि है इसलिए प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे। विचारण न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र को खारिज किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि प्रश्नगत भूमि संयुक्त परिवार की सांझे आय से अर्जित की ई सहदायिक कृषि भूमि है जिसका बाहमी बंटवारा के मुताबिक प्रार्थी के हक व हिस्सा की कृषि भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय विधि वरूिद्ध पारित किया है। वसीयत दिनांक 10.3.2016 के अनुसार अपीलाण्ट का कब्जा काश्त है जो बखूबी साबित था। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन तथ्यों पर बिना गौर किये अपीलाण्ट के पक्ष में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त कर दिया है जो विधि सम्मत नही है। अधीनस्थ न्यायालय में घोषणा का वाद लम्बित है और यदि प्रश्नगत भूमि को रेस्पोडेण्ट अन्तरित कर देते हैं तो अपीलाण्ट का दावा असफल हो जायेगा और अपीलाण्ट के न्याय का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे। अपने कथनों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने आरआरडी 2014 पेज 123, आरबीजे 2012 पेज 26, आरबीजे 2005 पेज 405, आरबीजे 2015 पेज 299, डीएनरजे 2021 II पेज 997, आरआरओ 2007 II पेज 813 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि कि प्रश्नगत भूमि संयुक्त परिवार की सहदायिक कृषि भूमि नहीं है। स्वर्गीय मुख्त्यारसिंह द्वारा सन् 2016 में की गई वसीयत को निरस्त किया जाकर सन् 2019 में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में वसीयत तस्दीक करवाई है तथा वसीयत के आधार पर प्रश्नगत भूमि अप्रार्थी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुकी है तथा अप्रार्थी संख्या 3

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

के नाम दर्ज कृषि भूमि उनकी स्वयं की अर्जित कृषि भूमि है, जिसमें अपीलाण्ट का कोई हक हिस्सा नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 1997 आरबीजे पेज 201, 2011 आरबीजे पेज 246 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र दस्तावेज सत्यप्रतिलिपि होने एवं अपील के निस्तारण में सहायक दस्तावेज होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं प्रस्तुत दस्तावेज अभिलेख पर लिये जाते हैं।

7. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है अपीलाण्ट ने प्रश्नगगत भूमि को सयुक्त परिवार की सहदायिक कृषि भूमि होने एवं जरिये वसीयत में अपीलाण्ट को प्राप्त होने के आधार पर दावा एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का का अनुतोष मांगा है। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार अपीलाण्ट के पिता मुखत्यार सिह ने दिनांक 10.03.2016 को एक वसीयत प्रार्थी व अप्राथी। संख्या 1 व 2 के पक्ष में निष्पादित करवाई थी लेकिन अपीलाण्ट के पिता ने दिनांक 12.07.2019 को चक 1 पीपीएम के खाात संख्या 89 की 1.340 है0 भूमि की एक वसीयत अप्रार्थी सं0 1 व 2 के पक्ष में निष्पादित करवाई है। वसीयत 12.08.2019 का राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हो चुका है जिसके आधार पर रेस्पोडेट के नाम भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। खाता सं0 16 की भूमि अप्रार्थी सं0 3 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। रेस्पेडेण्ट सं0 3 हिन्दू महिला है जिसे प्राप्त सम्पति उसकी स्वअर्जित सम्पति है अपीलाण्ट ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि प्रश्नगत भूमि पैतृक भूमि हो। प्रश्नगत भूमि रेस्पोडेण्ट के नाम खातेदारी दर्ज है एवं एक रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर उसे अपनी भूमि के उपयोग उपभोग करने से वंचित किया जाना न्यायोचित नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि सममत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिजी जाती है उपखण्ड अधिकारी रावतसर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.09.2021 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16.8.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/8/22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़